



प्रारूप - 1
नियम 20, 24 (ख)

नगर पालिक निगम, सतना (म.प्र.)

विविध रसीद

रसीद बुक क्रमांक 1911

रसीद क्रमांक 59

श्री गौरी चरण डेबे 5/8 से श्री भगवान राव के सम्बन्ध में प्राप्त हुये ।

रुपया (शब्दों में) दो हजार छपसठ मात्र

रुपया 2000/- नये पैसे ०

दिनांक 20/05/2011


सहायक राजस्व निरीक्षक



प्रारूप - 1
नियम 20, 24 (ख)

नगर पालिक निगम, सतना (म.प्र.)

विविध रसीद

रसीद बुक क्रमांक 1911

रसीद क्रमांक 60

श्री गौरी चरण डेबे 5/8 से श्री भगवान राव के सम्बन्ध में प्राप्त हुये ।

रुपया (शब्दों में) एक हजार एक सौ पचास मात्र

रुपया 14145/- नये पैसे ०

दिनांक 20/05/2011


सहायक राजस्व निरीक्षक



प्रारूप - 1
नियम 20, 24 (ख)

नगर पालिक निगम, सतना (म.प्र.)

विविध रसीद

रसीद बुक क्रमांक 1911

रसीद क्रमांक 81

श्री गौरी चरण दुबे से श्री मंगलान पास के सम्बन्ध में प्राप्त हुये ।

रुपया (शब्दों में) अठ्ठाईस हजार को दो नब्बे रुपया मात्र

रुपया 28290/- नये पैसे 7

दिनांक 20/05/2011


सहायक राजस्व निरीक्षक



प्रारूप - 1
नियम 20, 24 (ख)

नगर पालिक निगम, सतना (म.प्र.)

विविध रसीद

रसीद बुक क्रमांक 1911

रसीद क्रमांक 83

श्री गौरी चरण दुबे से श्री मंगलान पास के सम्बन्ध में प्राप्त हुये ।

रुपया (शब्दों में) पच्चे हजार रुपया मात्र

रुपया 15000/- नये पैसे 7

दिनांक 20/5/2011


सहायक राजस्व निरीक्षक



XXIII-D-3

Settlt.

अदालत श्री अनुविभागीय अधिकारी एवं विशेष कर्तव्य अधिकारी (परिवर्तित भूमि) तह0 रघुराजनगर (परिवर्तित भूमि पर पुर्ननिर्धारण, प्रब्याजि तथा जुर्माना का सूचना-पत्र)

नोटिस प्रपत्र "बी"

बनाम

श्री गौरीचरण दुबे पिता भगवानदास दुबे सा0 भरहुतनगर सतना पट.ह.नं. 50 तहसील रघुराजनगर जिला सतना (म0प्र0)

(1) आपको सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित भूमि पर गैर-काश्तकारी उपयोग में लाये जाने के कारण राजस्व मामला क्रमांक 53 अ2/2010-11 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर जिला-सतना के आदेश दिनांक 30/10/2010 के अनुसार निम्नलिखित पुर्ननिर्धारण (जमा) निर्धारण किया गया है:-

नाम ग्राम मय बंदोवस्त नम्बर व ह.नं.	खसरा नम्बर सर्वे नम्बर प्लाट नम्बर	परिवर्तित भूमि का क्षेत्रफल	अंतिम रूप से निर्धारित किया गया संशोधित पुर्ननिर्धारण (जमा)
महदेवा 50	85/क/3 का अंश	10000 वर्गफुट (दस हजार वर्गफुट)	व्यवसायिक पुर्ननिर्धारण भू-राजस्व वार्षिक व्यवसायिक 270-00 रू0 प्रीमियम व्यव014000-00 रू0 नोट:- म0प्र0भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 59(2) के तहत पुर्ननिर्धारण स्वीकृत। जो वर्ष 2010-11 से देय होगा

(2) आपको यह भी सूचित किया जाता है कि काश्तकारी भूमि को गैर-काश्तकारी कामों में परिवर्तित किये जाने के फलस्वरूप आप पर प्रीमियम (प्रब्याजि) 14000-00 रूपया और जुर्माना 2000-00.रूपया अरोपित किया जाता हैं जो आप खजाने में जमा कर चालान दिनांक 04/11/2010 तक या इसके पूर्व इस अदालत में प्रस्तुत करें।

अनुविभागीय अधिकारी,
रघुराजनगर
जिला-सतना (म0प्र0)
जिला-सतना (म.प्र.)

कार्यालय, नगर पालिक निगम सतना (म.प्र.)

क्रमांक :- 520/10-11

सतना, दिनांक :- 16/5/11

प्रति,

श्री/श्रीमती - श्री/श्रीमती चरण देवे शिवाजी भावाण बाळ देवे
वार्ड क्रमांक - 27 सतना (म.प्र.)

महोदय,

खसरा क्र. - 857क/3

भू-खण्ड/माकान क्र. -

बस्ती/मार्ग - महारेवा

मोहल्ला/बाजार - सतना

वार्ड क्र. - में भूमि/भवन के विकास का निर्माण हेतु परमिट की स्वीकृति के आपके आवेदन दिनांक के संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों एवं निर्बंधनों पर म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के नियम 27 के अधीन उपयोग हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. यह अनुज्ञा इस ज्ञापन के जारी दिनांक से एक वर्ष की समयावधि के लिए प्रभाव साली रहेगी अवधि समाप्ति के पूर्व नवीनीकरण कराना होगा।
2. आवेदक स्वयं की भूमि के बाहर किसी भी प्रकार का प्रक्षेपण नहीं करेंगे।
3. आवेदित भू-खण्ड में सीमान्त खुला क्षेत्र निम्नानुसार रखना होगा :-
सामने तरफ-
दोनों तरफ-
एक तरफ-
पीछे-
कुल निर्मित क्षेत्रफल-
फर्सी क्षेत्रानुपात-..... से अधिक न हो।
4. भूमि स्वामित्व सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वयं निरस्त हो जावेगी।
5. म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधानों का पूर्णता पालन करना होगा।
6. आवेदित स्थल अवैधकालोनी का भू-खण्ड होने के कारण यह अनुज्ञा स्वमेव निरस्त हो जावेगी।
7. आवेदित भू-खण्ड प्रभावशील कालोनी हेतु म.प्र. नगर पालिक निगम संशोधित अधिनियम एवं नियम के प्रावधानों के अनुसार वैध होना आवश्यक है, किसी भी दशा में इन प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।
8. स्वयं के व्यय पर भवन बाउण्ड्री के सामने स्वतः की भूमि पर पानी निकासी हेतु नाली का निर्माण कराना आवश्यक होगा।
9. कम से कम दो छायादार वृक्ष लगाना होगा।
10. वर्षात के पानी की वाटर हारवेस्टिंग भवन के चारों ओर खुले स्थान में करना आवश्यक होगा।
11. भवन निर्माण नगर निगम द्वारा अधिकृत वास्तुविदकार/इन्जीनियर की देखरेख में करना होगा तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने पर वास्तुविदकार से प्रमाणित प्रमाणपत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
12. म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के नियम 31 (2) 'घ' एवं (ड) (घ) (छ) के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने के लिए सूचना परिशिष्ट (5) एवं उसी स्तर पर भवन के निरीक्षण के लिए परिशिष्ट (घ) एवं कार्यपूर्णतः प्रमाणपत्र के लिए परिशिष्ट (छ) तथा दखलकारी अनुज्ञा के लिये प्रारूप (ज) की सूचना नगर निगम कार्यालय को समय-समय पर देना आवश्यक होगा।
- 13.
- 14.

16-5-11
कार्यपालन यंत्री
नगर पालिक निगम
सतना (म.प्र.)

आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित

चालान नं.

चालान बावत दाखिला रकम जिला / कोष / उप कोष स्टेट बैंक आफ इण्डिया

(नं. 11 (म.प्र.))

इसे दाखिला करने वालों को भरना होगा।

जिसके द्वारा रकम लाई गई हो	नाम मोहकमा या आफीसर तथा पता	पूरा विवरण जिस बावत रकम दाखिला की जा रही	तादाद रकम	बजट का मद्य	बैंक के लिए आदेश
<p>नाम / पता</p> <p>श्री गौरी चरण दुबे श्री 00 अजयानदास दुबे साठ भरहुत नगर सतना</p>	<p>श्री एस.डी.ओ. साहब तहसील-सतना जिला-सतना (म.प्र.) प्रकरण क्रमांक 58A2 आदेश क्रमांक 10x11 2010x11 816270</p>	<p>बाबत डायवर्सन/भू-राजस्व आराजी नं 85/क/स.क. प्लॉट नं. अरा रकबा 10000 वर्ग फिट मौजा स.द.व. तहसील सतना सन 2010x11</p>	<p>मु.रा.प्रा.प यापिउ 10x11 270 जी.मि.म 14000 अव.स 2000 टोटल रु. 16270</p>	<p>0029 सू-राजस्व</p>	<p>बैंक के लिए आदेश</p>

2/11/23

हस्ताक्षर

रकम शब्दों में सोलह हजार दो सौ सतर रुपया

तारीख 20/12/10